विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य अभियंता सेवाएं तथा सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय की परियोजनाओं/स्कीमों की वित्तीय लेनदेन की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन समीक्षाओं के परिणाम समाविष्ट हैं।

प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं:

महानिदेशक पुनर्वास का प्रकार्य

महानिदेशक पुनर्वास (डी जी आर) की स्थापना सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अतिरिक्त कौशल से शक्ति संपन्न करने और आगे रोज़गार/स्वरोज़गार योजनाओं के माध्यम से दूसरी जीविका चुनने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी। तथापि हमने देखा कि डी जी आर भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन तथा पुनर्वास के इन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60,000 सेना कर्मियों की प्रत्याशाओं को पूरा नहीं कर सका। गत पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण पर ₹90.98 करोड़ का व्यय किए जाने के बाद भी यह सुनिश्चित करने कि प्रशिक्षित कार्मिक अंततः पुनर्नियुक्त किए गए थे, के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं हुआ था। डी जी आर द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान रोज़गार एवं स्वरोज़गार योजनाएं 10 वर्षों से अधिक पुरानी थीं और इसलिए कार्य संचालन के बदलते परिवेश में इन योजनाओं की प्रभावकारिता नष्ट हो चुकी थी। हमने पाया कि गत दस वर्षों में रोज़गार अथवा स्वरोज़गार की कोई नई योजनाएं आरंभ नहीं की गई थीं।

(पैराग्राफ 2.1)

भारतीय सेना में राशन का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन- अनुवर्ती लेखापरीक्षा

मंत्रालय ने मार्च 2013 में दी गई स्वीकृति तथा आश्वासन के बावजूद राशन के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्रियाकलापों से सीधे संबंधित पी ए सी की 12 में से केवल दो सिफारिशें कार्यान्वित की। परिणामतः राशन के संभरण/ अधिप्राप्ति, जांच, वितरण से संबंधित क्रियाकलापों को नहीं सुधारा जा सका तथा सैनिकों का संतुष्टि स्तर, विशेषकर उत्तरी तथा पूर्वी कमान में, निम्न रहा।

(पैराग्राफ 2.2)

इस्तेमाल के दौरान अनुकूल नहीं पाई गई पर्यावरणिक नियंत्रण इकाइयों की अधिप्राप्ति

इंजन के निरंतर अतितापन के बावजूद प्रयोक्ता परीक्षण दल ने इन्फैन्ट्री युद्ध वाहनों में फिट करने हेतु पर्यावरणिक नियंत्रण इकाईयों (ई सी यू) की अधिप्राप्ति की सिफारिश की। तदनुसार, 2009 और 2010 में ₹219.48 करोड़ मूल्य की 2,077 ई सी यू की अधिप्राप्ति की गई थी। तथापि आई सी वी इंजनों के अतितापन एवं उनकी कार्यकुशलता की कमी के कारण ई सी यू को फिट नहीं किया जा सका था। अत: ई सी यू किसी प्रभावी प्रयोग के बिना पड़े हुए हैं।

(पैराग्राफ 2.3)

सेना के कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों को दिए गए क्षेत्र भत्ते पर आयकर की गैर कटौती

भुगतान एवं लेखा अधिकारी (अन्य रैंकों), आहरण और संवितरण अधिकारियों के रूप में, सेना में कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों से तय छूट सीमा से अधिक के क्षेत्र भत्ते पर आयकर की वसूली नहीं कर पाए। इस तरह के गैर-वसूली वाले कर की राशि 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान ₹5.05 करोड़ तक पहुँच गई।

(पैराग्राफ 2.4)

परीक्षण प्रयोजनों के लिए रेडियो सेटों की अनुचित खरीद

सेना मुख्यालय ने 2006 में क्षेत्र परीक्षणों के लिए आवश्यकता से अधिक ₹21.90 करोड़ मूल्य के 322 रेडियों सेटों की अधिप्राप्ति की। बक्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए अधिप्राप्त इन सेटों का परीक्षणों के लिए प्रयोग नहीं किया गया था तथा इन्हें स्टार V मार्क II विशिष्टताओं के संगत बनाने के लिए उन्नयन आवश्यक है, जिसके लिए ₹11.27 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 3.1)

निजी संस्थान में सेवा कार्मिकों की अनियमित रूप से तैनाती

यद्यपि सेना आयुर्विज्ञान कॉलेज अपनी खुद की शिक्षण सुविधाएं स्थापित करने में प्रक्रियाधीन था, मंत्रालय ने पांच वर्षों की अवधि के लिए सरकारी अस्पतालों के आंशिक संकाय का उपयोग करने की संस्वीकृति दी। तथापि सेना मुख्यालय ने

विभिन्न कोर/इकाइयों से लिपिकीय काम के लिए सेवा कार्मिकों को तैनात किया, जो मंत्रालय की संस्वीकृति में शामिल नहीं था।

(पैराग्राफ 3.2)

लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ / बचतें और लेखाओं में समायोजन

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने अधिदत्त वेतन और भत्तों, विविध शुल्कों, प्रशिक्षण शुल्कों की वसूली की थी, अनियमित संस्वीकृतियों को रद्द कर दिया और वार्षिक लेखाओं में संशोधन किया, जिससे ₹184.73 करोड़ का शुद्ध प्रभाव रहा।

(पैराग्राफ 3.4)

परिचालन सैन्य आवश्यकताओं के लिए संस्वीकृत कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक विलंब

एक भूमिगत ऑपरेशन थियेटर (यू जी ओ टी) का निर्माण करने में सैन्य अभियंता सेवाओं द्वारा दस वर्षों तक का अत्यधिक विलंब हुआ, जिससे प्रचालन में लगे सैन्य दल को इस सुविधा से वंचित होना पड़ा। एक सैन्य अस्पताल (एम एच) की परिचालन सैन्य आवश्यकताओं के लिए यह कार्य संस्वीकृत किया गया था तथा ₹1.54 करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य पूरा किया गया था, तब तक एम एच को एक अलग जगह पर ले जाया गया था। परिसंपत्तियां अब अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

(पैराग्राफ 4.1)

पुलों के लिए अनुचित स्थलों का चुनाव

महानिदेशक सीमा सड़क मुख्यालय द्वारा अव-मृदा जाँच (एस एस आई) कराए बिना ही स्थलों के चुनाव के परिणामस्वरूप, बाद में कार्य को समय पूर्व बंद करना पड़ा क्योंकि मृदा स्तर को पुलों के निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया था। एस एस आई के लिए दिए गए विशिष्ट अनुदेशों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹2.53 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

उचित आवश्यकता के आकलन के बिना क्रेनों की खरीद

महानिदेशक सीमा सड़क ने दो लेटिस क्रेनों की मांग के प्रति सात क्रेनों की अधिप्राप्ति की, जिनकी क्षमता विभिन्न सीमा सड़क परियोजनाओं के लिए मांगी गई

और अनुमोदित क्षमता से दोगुने से भी अधिक थी । विशाल आकार और पर्याप्त आवश्यकता के अभाव के कारण 2012 में अधिप्राप्त की गई ₹6.81 करोड़ की लागत वाली क्रेनों का 86 प्रतिशत तक कम उपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 5.2)

सामग्री की निष्फल खरीदारी

यह जानने के बावजूद कि सी-103 सामग्री स्क्रैमजेट इंजन द्वारा पैदा किए गए उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकती, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने स्क्रैमजेट परियोजना के विकास के लिए ₹4.83 करोड़ मूल्य की 1329 किलोग्राम सी-103 सामग्री की खरीदारी की, जो अवांछित था तथा अंततः व्यर्थ साबित हुआ।

(पैराग्राफ 6.2)

आयुध निर्माणी संगठन

विलम्ब से आदेश देने के कारण अतिरिक्त व्यय

निर्माणी एवं बोर्ड के विभिन्न स्तरों पर चूक के कारण आयात के आदेशों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के फलस्वरूप गन कैरिज निर्माणी द्वारा उच्चतर दरों पर 25 पूर्ण रूप से निर्मित तोपों की अधिप्राप्ति पर ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 7.2)

उपस्करों की अधिप्राप्ति एवं स्थापना में विफलता के कारण बचत की हानि

(i) कम्पयूटेड रेडियोग्राफी प्रणाली एवं (ii) एल आई एन ए सी मशीन की समय पर अधिप्राप्ति एवं स्थापना में ओ एफ बी एल की विफलता के कारण मंहगी एक्सरे फिल्म तथा भरे हुए सेल के एक्सरे हेतु रसायन की खपत के परिणामस्वरूप ₹4.62 करोड़ की राशि बचाने का अवसर हाथ से निकल गया।

(पैराग्राफ 7.3)

एक मशीन के परिचालन में विफलता

मशीन के निष्पादन के बिना जाँच किए हुए वाहन निर्माणी जबलपुर के द्वारा ₹6.32 करोड़ मूल्य के एक मशीन की स्वीकृति एवं बाद में इसके रख-रखाव में लापरवाही के परिणामस्वरूप यह मशीन जून 2012 के बाद खराब हो गई।

(पैराग्राफ 7.4)

अस्वीकृत फ्यूज को न बदलने के कारण सामान का अवरोधन

फ्यूजों की आपूर्ति के अनुबंध की शर्तों को लागू कराने एवं प्रतिकार शर्तों का पालन करवाने में आयुध निर्माणी, चाँदा की असफलता के परिणामस्वरूप ₹6.05 करोड़ के अस्वीकृत फ्यूज बेकार पड़े रहे।

(पैराग्राफ 7.6)

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डी पी एस यू) द्वारा आपूर्ति में विलम्ब

XI सेना योजना (2007-12) के दौरान रक्षा पी एस यू द्वारा अति महत्वपूर्ण शस्त्रों व उपकरणों की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन योजना को बाधित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹30,098 करोड़ मूल्य के अनुबंध, जो XI सेना योजना के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए डी पी एस यू अनुबंधों के कुल मूल्य का 63 प्रतिशत था, विलंबित हुए थे। विलंब के लिए मुख्य कारण विकास के लिए लिया गया अनुचित समय, पायलट नमूने के सफल मूल्यांकन में विलंब, विदेशी विक्रेताओं पर डी पी एस यू की भारी निर्भरता, संविदात्मक शर्तों में अस्पष्टता आदि थे। रक्षा तैयारी को प्रभावित करने के अलावा इस विलंब का डी पी एस यू को किए गए भुगतानों पर ब्याज की हानि के रूप में वित्तीय प्रभाव भी था। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया था ।

(पैराग्राफ 8.1)

सीमा शुल्क की छूट का लाभ न उठाने के कारण परिहार्य हानि - मिश्र धातु निगम लिमिटेड

मिश्र धातु निगम लिमिटेड द्वारा छूट का लाभ उठाने में विफलता और पहले अदायगी एवं बाद में प्रतिदाय का दावा करना, जो असफल रहा, के परिणामस्वरूप ₹1.30 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 8.2)